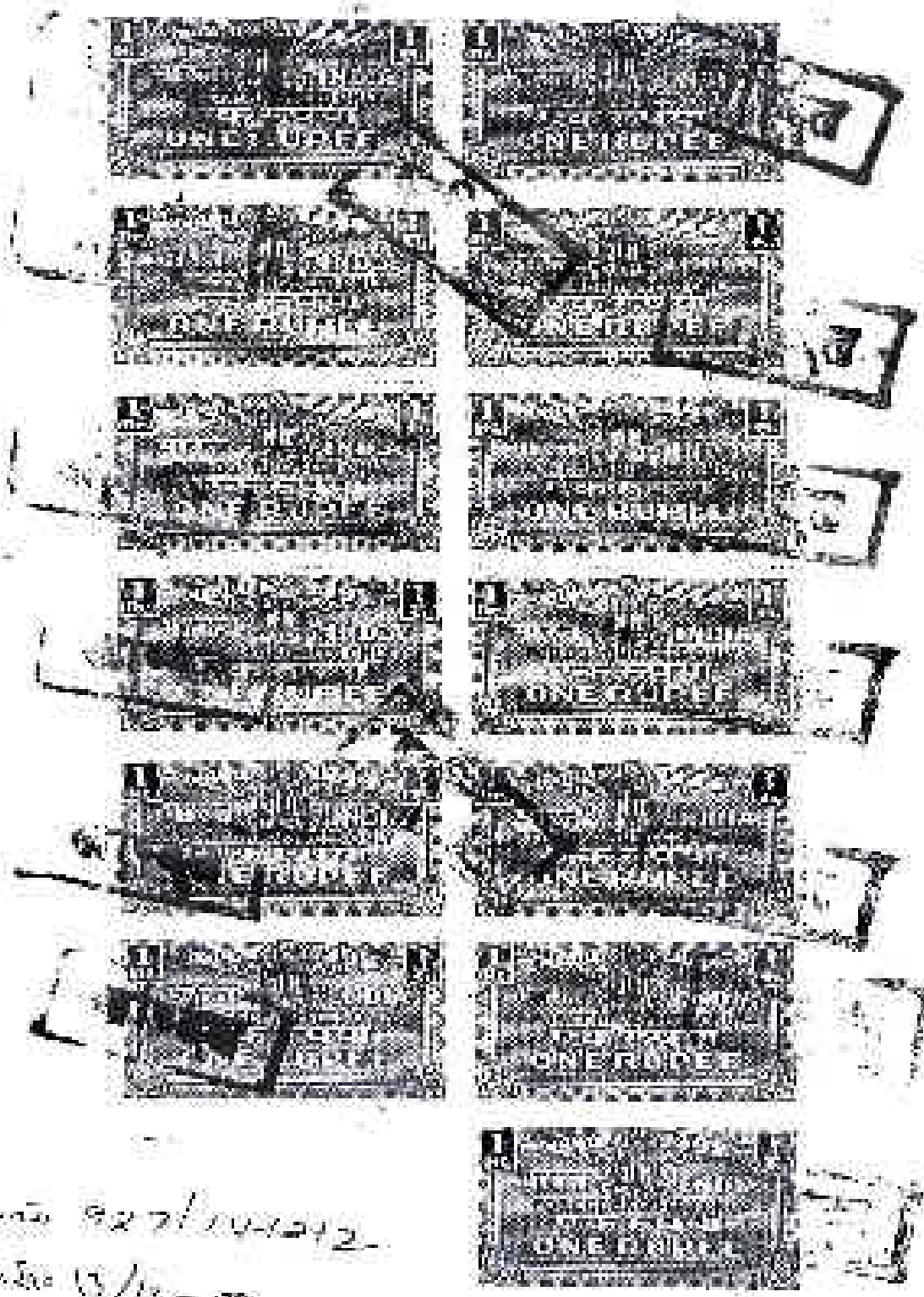

[illegible]

[illegible]

[illegible] 13-8-2003

न्यायालय उपजिलाधिकारी छिबरामऊ

वाद संख्या- 14 सन् 2003 ई0

जनता गोपीचन्द ऐजूकेशन एण्ड मिलेनियर सोसाईटी छिबरामऊ द्वारा प्रबन्धक रामचरण पुत्र गोपीचन्द ।

बनाम

ग्राम सभा हरचन्दपुर द्वारा ग्राम प्रधान हरचन्दपुर परगना छिबरामऊ तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज ।

अन्तर्गत धारा 143 ज0 वि0 व0 भू0 वि0 अधिनियम मौजा हरचन्दपुर तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज ।

आदेश

पत्रावली [illegible] प्रस्तुत । तह0 की आख्या दि0 16-6-2003 के अनुसार खसरा नम्बर 149 मि0 रकबा 2-665 है0 लगान 140=88 पैसे स्थित मौजा हरचन्दपुर में वादी कृषि कार्य बन्द करके कालेज बनाना चाहता है। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि को धारा 143 ज0 वि0 व0 भू0 वि0 अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः तह0 की आख्या दि0 16-6-2003 तथा वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर खसरा नम्बर 149 मि0 रकबा 2-665 है0 लगान 140=88 पैसे स्थित मौजा हरचन्दपुर पर वादी कृषि कार्य बन्द करके कालेज [illegible] रहा है। इसलिये उक्त भूमि को धारा 143 ज0 वि0 व0 भू0 वि0 अधिनियम के अन्तर्गत कृषि कार्य से मुक्त कर अकृषिक घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक [illegible] के कार्यालय में भेजी जाये। बाद आ0 कार्य0 पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

ह0 [illegible] /2003

(एस0 के0 शर्मा)
उपजिलाधिकारी
छिबरामऊ

नकल कर्ता ....

तुलना कर्ता ....

प्रतिलिपि हेतु दिये गये स्टाम्प का मूल्य ....
प्रार्थना पत्र देने का दिनांक ....
कागज व तैयार होने का दिनांक ....
प्रतिलिपि देने का दिनांक ....
प्रतिलिपि जारी करने वाले के हस्ताक्षर ....

सत्य प्रतिलिपि